राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।

क्रमांक प. 135/एनपीएस/जनरल/2017–18 3513 दिनांक 10-10-2017

परिपत्र

दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् राज्य में नियुक्त कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई है जिसके तहत एनपीएस अंशदाता की कार्मिक अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि को अंशदाता के प्रान में ट्रस्टी बैंक के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाता है। एनपीएस खातों का रख रखाव नेशनल सिक्यूरिटी डिपेजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग ऐजेन्सी (सीआरए) के तौर पर किया जा रहा है।

एनएसडीएल (सीआरए) द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सीआरए प्रणाली की पहुंच तक समर्थ /योग्य बनाने हेतु एन.एस.डी.एल. वैबसाइट (www.cra-nsdl.com) पर डीडीओ लोगिन (DDO login) की सुविधा उपलब्ध करवायी गई है जिसके अनुसार आहरण वितरण अधिकारी को उनके अधीनस्थ एन.पी.एस. अंशदाताओ का निम्नवत विवरण देखने की सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।

1. सीआरए सिस्टम में डीडीओ से मैप्ड अंशदाताओं का ट्रान्जेक्शन स्टेटमेन्ट देखने एव प्रिन्ट की सुविधा ।
2. डीडीओ से मेप्ड अंशदाताओ के ई–प्रान कार्ड देखने एवं प्रिन्ट करने की सुविधा ।
3. डीडीओ से मेप्ड अंशदाताओ से सम्बन्धित विवरण देखने की सुविधा।
4. अंशदाताओं की ओर से शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा।
5. डीटीओ (जिलाअधिकारी बीमा) के विरूद्ध दर्ज शिकायतों के सम्बन्ध में फीडबैक की सुविधा।
6. अंशदाता/दावेदार की ओर से प्रत्याहरण आवेदन की सुविधा ।

इस हेतु एनएसडीएल द्वारा प्रत्येक डीडीओ को लोगिन आई–डी एवं पासवर्ड जारी किए गये है। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी को पूर्व आवंटित डीडीओ रजिस्ट्रेशन नम्बर के अन्त में 00 लगाने से वह लोगिन आई–डी बन जायेगा तथा nsdl@123 सभी डीडीओज के लिए वन टाईम कॉमन पासवर्ड आवंटित किया गया है ।

उपरोक्त सुविधाओं से दिन–प्रतिदिन के कार्यों का त्वरित निस्तारण किया जा सकता है। एनएसडीएल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त सुविधा का समुचित उपयोग नही किया जा रहा है। पीएफआरडीए/एनएसडीएल द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता जताई है।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ एनपीएस अंशदाता के प्रान (खाते) को प्रत्येक तिमाही मे एक बार आवश्यक रूप से देखकर सुनिश्चित कर लेवें कि अंशदाता की राशि समय पर सही खाते मे स्थानान्तरित हो रही

है अथवा नही। अंशदाताओ से सम्बन्धित अन्य विवरण यथा बैंक डिटेल, मनोनीत का विवरण एवं कोन्टेक्ट डिटेल आदि के भी सही प्रकार से अंकित होने की पुष्टि कर ली जावे । अंशदाता के दूरभाष /मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल एड्रेस को स्वयं अंशदाता (प्रान होल्डर) द्वारा ही दुरूस्त किया जा सकता है परन्तु अन्य विवरण में संशोधन हेतु निर्धारित एस–2 प्रपत्र में अंशदाता द्वारा विवरण पूर्ति कर डीडीओ के माध्यम से सम्बन्धित जिला कार्यालय (बीमा) को प्रस्तुत करना होगा।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीनस्थ एन्पीएस अशंदाताओं से सम्बन्धित विवरण की जॉच डीडीओ लोगिन आई–डी के माध्यम से आगामी 10 दिवस में आवश्यक रूप से कर लेवें। यदि विवरण में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो अविलम्ब सम्बंधित डीटीओ (जिला कार्यालय बीमा) से सम्पर्क कर आवश्यक संशोधन करवाना सुनिश्चित करें।

(भंवरलाल मेहरा)
निदेशक

क्रमांक प. 135/एनपीएस/जनरल/2017–18 3513 दिनांक 10-10-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष ।
2. समस्त सम्भागीय अधिकारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान ।
3. समस्त जिला अधिकारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उनके जिला कार्यालय से सम्बन्धित समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को परिपत्र की प्रति उपलब्ध करवा कर उपरोंक्तानुसार कार्यवाही सुनिशंचित करावें एवं रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायें।
4. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम्स) राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर को विभागीय पोर्टल पर डालने एवं डीडीओज को सूचित करने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक